रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मई 4—मई 10, 2014, शनिवार/वैशाख 14—वैशाख 20, 1936
No. 9] NEW DELHI, MAY 4—MAY 10, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 14—VAISAKHA 20, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय वर्ग III तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अननुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उसका संबंध सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी- I और सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-II पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' पद (सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा व अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-I	9* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति	सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-II जो वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा रखते है और निम्नानुसार कौशल परीक्षण पास हैं – (क) अंग्रेजी अंको और आकृतियों का ज्ञान ।

	(11)
	(ख) यातायात नियमों और विनियमों की जानकारी **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. कमाडिंग आफिसर वैमानिक क्वालिटी आश्वासन विंग (आयुध) खामारिया —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी -I या समतुल्य स्तर के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी —सदस्य 3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी -I या समतुल्य स्तर के अन्य रक्षा स्थापन से समतुल्य स्तर के अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी-II	08* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति	सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर साधारण श्रेणी-II जो वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा रखते है और निम्नानुसार कौशल परीक्षण पास हैं – (क) अंग्रेजी अंको और आकृतियों का ज्ञान ।

(11)
(ख) यातायात नियमों और विनियमों की जानकारी **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. कमाडिंग आफिसर वैमानिक क्वालिटी आश्वासन विंग (आयुध) खामारिया —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी -I या समतुल्य स्तर के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी —सदस्य 3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी -I या समतुल्य स्तर के अन्य रक्षा स्थापन से समतुल्य स्तर के अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर साधारण श्रेणी	6* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अनधिक (विभागीय अभ्यर्थियों के साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(6)
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मैट्रीकुलेशन कक्षा 10 पास 2. विधिमान्य ड्राइविंग अनुज्ञप्ति रखते हुए कार या भारी यान के ड्राइविंग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. कमाडिंग आफिसर वैमानिक क्वालिटी आश्वासन विंग (आयुध), खामारिया —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य स्तर के वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी —सदस्य 3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या समतुल्य स्तर के अन्य रक्षा स्थापन से समतुल्य स्तर के अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. 2523/आर आर/सी एम टी डी (समूह 'ग')/डी जी ए क्यू ए /प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 6th May, 2014

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Technical Development and Production (Air) Class III Technical, Scientific and other Non-ministerial posts Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the posts of Civilian Motor Transport Driver Grade -I and Civilian Motor Transport Driver Grade-II in Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Civilian Motor Transport Drivers in Ministry of Defence, Department of

Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:—

1. **Short title and commencement .— (1)** These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' posts (Civilian Motor Transport Drivers) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—** The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—** The method of recruitment, age limit. qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marnage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Civilian Motor Transport Driver Grade-I	09* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200 with grade pay of ₹ 2800	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or absorption or deputation to be made
(10)	(11)
Promotion	Civilian Motor Driver Grade-II in Pay Band-1, Grade pay ₹ 2400 in the Pay Scale ₹ 5200-20200 with six years regular service in the grade and after passing the proficiency test as under:— (a) Reading of English numerals and figures. (b) Knowledge of traffic rules and regulations. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Chairman 2. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Member 3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from any other Defence establishment —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Civilian Motor Transport Driver Grade-II	08* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200 with grade pay of ₹ 2400	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion	Civilian Motor Driver, Ordinary Grade-II in Pay Band-1, Grade pay ₹ 1900 in the Pay Scale ₹ 5200-20200 with nine years regular service in the grade and after passing of a trade test as under:— (a) Reading of English numerals and figures. (b) Knowledge of traffic rules and regulations. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Chairman 2. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Member 3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from any other Defence Establishment —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Civilian Motor Transport Driver Ordinary Grade	06* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200 with grade pay ₹ 1900	Not applicable	Not exceeding twenty-five years (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates from the heart lands of India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,

(6)
Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2 :** In case of the recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
1. Matriculation (10th class pass) from any recognized Board. 2. Possessing a vaild driving license for driving cars and heavy vehicles with at least two years experience in driving.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Chairman 2. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Member 3. Senior Scientific Officer Grade-I or equivalent level from any other Defence Establishment —Member	Not applicable.

[F. No. 2523/RR/CMTD (Group'C')/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 2014

का.नि.आ. 36 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर सर्चर भर्ती नियम, 1972 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर में सर्चर, समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर, सर्चर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सर्चर	32* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय गैर-ओद्योगिक	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है । (समूह 'ग' पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयुसीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह

		(6)
		अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन	नहीं	सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए-दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**आमेलन :** रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत, स्तंभ (7) के अधीन विहित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के आमेलन द्वारा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (परिवीक्षा उत्थापन और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—		लागू नहीं होता ।
(1) कमांडेंट या आफिसर कमांडिंग या कैप्टन से अन्यून रैंक का अधिकारी	—अध्यक्ष	
(2) कैप्टन या जूनियर कमीशंड ऑफिसर या फॉरमैन या चार्जमैन रैंक के दो अधिकारी	—सदस्यगण	

[फा. सं. बी/89228/भर्ती नियम/सर्चर/ई एम ई सिविल(सी-2)/63/र.(नि.)/2014]

दलपत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd May, 2014

S.R.O. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and supersession of the Corps of Electrical and Mechanical Engineers Searcher post Recruitment Rules, 1972, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Searcher Group 'C' in Ministry of Defence, Corps of Electronics and Mechanical Engineers namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Defence Corps of Electronics and Mechanical Engineers Searcher Group 'C' posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.—**The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay/the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, and other qualifications.—**The method of recruitment to the said posts, age-limits and qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.**—**No person,**—**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade pay and Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Searcher	32* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Industrial Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, Rs. 5200—20200 plus Grade pay Rs. 1800	Non-selection	Between 18 to 25 years **Note 1:** Relaxable for Govern - ment servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government from time to time and further relaxation for five years as in the case of Scheduled

	(6)
	Castes and Scheduled Tribes. (Relaxation of the upper age-limit for departmental candidates upto forty years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts.) **Note2 :** The crucial date for determining the age limit will be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation from a recognized Board	No	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /absorption, trades from which to be made
(10)	(11)
By absorption failing which by direct recruitment	**Absorption :** Persons holding analogous posts or higher posts on regular basis in the lower formations of Defence Services who possess same qualification as prescribed for direct recruitment in column (7).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering probation lifting or confirmation) consisting of :—		Not applicable.
(1) Commandant or Officer Commanding or an officer not below the rank of Captain	—Chairman	
(2) Two Officers of the rank of Captain or junior Commissioned Officers or Foreman or Chargeman	—Members	

[F. No. B/89228/RR/Searcher/EME Civ. (C-2)/63/D(Apptts)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

का.नि.आ. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में :-

(क) स्तंभ (10) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

''पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा''

(ख) स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

(i) दस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने 1800 ग्रेड वेतन के साथ तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों ।

(परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम् आयु-सीमा सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में पैतालिस वर्ष और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पचास वर्ष है ।)

टिप्पण :– यदि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध रिक्तियों से अधिक, संख्या में विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों पर उत्तरवर्ती वर्षों में उदभूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर जो बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते है, से पहले विचार किया जाए ।

(ii) पांच प्रतिशत चयन के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने 1800 ग्रेड वेतन के साथ उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले रिक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों ।

[फा. सं. डी.एच.आर.डी./76257/भर्ती नियम/प्रशासन/सी/पी/03]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण :-मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का. नि. आ.-12, तारीख 15 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किये गये थे ।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 7th April, 2014

S.R.O. 37 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazatte.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013, in the Schedule,-

(a) in column (10), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

''Eighty-five percent by direct recruitment and fifteen percent by promotion''.

(b) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion :

(i) Ten per cent. through departmental examination from Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800 with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7).

(The maximum age-limit for eligibility of examination is forty-five years in the case of general candidates and fifty years in the case' of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes).

Note: If more of such employees than the available number of vacancies qualifies in the departmental examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(ii) Five per cent on selection basis from amongst Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800 with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7)''.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin /C/P/03]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note : The principal rule was published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide notification number S.R.O.12 dated 15th February, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.